(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 जनवरी, 2008 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 01.01.2008

अधिसूचना

सा.का.नि...........(अ).- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 का प्रारूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ), तारीख 19 जून, 2007 के अधीन तारीख 19 जून, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25.06.2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनों में निवास करने वाले अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 है ।

(2) इनका विस्तार, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभा-ाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) "वास्तविक जीविका आवश्यकताओं" से, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) में उपबंधित है, वन भूमि पर स्वयं खेती करके उत्पादन के माध्यम से या उपज के विक्रय से स्वयं की और कुटुंब की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेत है ;

(ग) ''दावेदार'' से ऐसा व्यन्टि, व्यन्टियों का समूह, कुटुंब या समुदाय अभिप्रेत है जो अधिनियम में सूचीबद्ध अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने के लिए दावा करता है ;

(घ) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ''गौण वन उपज के निपटान'' के अंतर्गत उपज को इकट्ठा करने वाले या समुदाय द्वारा जीविका के लिए ऐसी उपज के उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, वन क्षेत्र में सिर पर रखकर, साइकिल द्वारा या ठेलों के द्वारा परिवहन या विक्रय भी है ;

(ङ) ''वन अधिकार समिति'' से नियम 3 के अधीन ग्राम सभा द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ;

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभान्ति नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभान्ति हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. ग्राम सभा - (1) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जाएगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस किन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे :

परंतु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

(2) वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना उपखंड स्तर की समिति को देगी ।

(3) जब वन अधिकार समिति का कोई सदस्य व्यन्टिक वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जाएगा तब वह सत्यापन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

4. ग्राम सभा के कृत्य - (1) ग्राम सभा -

(क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरंभ करेगी और उससे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी ;

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे ;

(ग) वन अधिकारों के संबंध में दावों पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों और संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, पारित करेगी और उन्हें उपखंड स्तर की समिति को भेज देगी ;

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों पर विचार करेगी ; और

(ङ) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी ।

(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी :

परंतु जहां किसी गांव में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों की वि-ाम जनसंख्या है वहां अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजातीय समूहों और कृनि पूर्व समुदायों के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) ग्राम सभा को राज्य के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. उपखंड स्तर की समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(क) उपखंड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष

(ख) उपखंड का भारसाधक वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी - सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी ; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परि-ाद् या प्रादेशिक परि-ाद् या अन्य समुचित जोनल स्तर की परि-ाद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी ; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का उपखंड का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी ।

6. उपखंड स्तर की समिति के कृत्य - उपखंड स्तर की समिति -

(क) प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़ पौधे और जीव जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्यजीव, वन और जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्यों और वन अधिकारों के धारक के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी ;

(ख) ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी ;

(ग) संबद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी ;

(घ) ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी ;

(ङ) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी ;

(च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाइ करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी ;

(छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी हैं, अर्जियों की सुनवाई करेगी ;

(ज) अंतः उपखंड दावों के लिए उपखंड स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी ;

(झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के पश्चात् प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी ;

(ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेनित करेगी ;

(ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी ;

(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध - 1 (प्रारूप क और ख) में यथाउपबंधित प्रौफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ;

(ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और नि-पक्ष रीति में किए जाते हैं ।

7. जिला स्तर की समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर या उपायुक्त - अध्यक्ष

(ख) संबद्ध खंड वन अधिकारी या संबद्ध उप वन संरक्षक - सदस्य

(ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी ; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परि-ाद् या प्रादेशिक परि-ाद् या समुचित जोनल स्तर की परि-ाद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी ; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी ।

8. जिला स्तर की समिति के कृत्य - जिला स्तर की समिति -

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है ;

(ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशे-ाकर आदिम जनजातीय समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है ;

(ग) उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी ;

(घ) उपखंड स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी ;

(ङ) अंतःजिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी ;

(च) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निदेश जारी करेगी ;

(छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रूप दे दिया जाए, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी ; और

(ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबंध 2 और 3 में यथाविनिर्दि-ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रति संबद्ध दावेदार और संबंधित ग्राम सभा को दे दी गई है ।

9. राज्य स्तर की निगरानी समिति - राज्य सरकार निम्निखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष ;

(ख) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य ;

(ग) सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग - सदस्य ;

(घ) सचिव, वन विभाग - सदस्य ;

(ङ) सचिव, पंचायती राज - सदस्य ;

(च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य ;

(छ) जनजातीय सलाहकार परि-ाद् के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य जिन्हें जनजातीय सलाहकार परि-ाद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा और जहां कोई जनजातीय सलाहकार परि-ाद् नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य ;

(ज) आयुक्त, जनजातीय कल्याण या समतुल्य जो सदस्य-सचिव होगा ।

10. राज्य स्तर की निगरानी समिति के कृत्य - राज्य स्तर की निगरानी समिति -

(क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानदंड और संकेतक तय करेगी ;

(ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी ;

(ग) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया के संबंध में छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियां और रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए ;

(घ) अधिनियम की धारा 8 में यथावर्णित सूचना की प्राप्ति पर अधिनियम के अधीन संबद्ध प्राधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेगी ;

(ङ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्स्थापन की निगरानी करेगी ।

11. ग्राम सभा द्वारा दावे फाइल करने, उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया--(1) ग्राम सभा,--

(क) दावों के लिए मांग करेगी और इन नियमों के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित प्ररूप में, दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे दावे, दावों की ऐसी मांग की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, नियम 13 में उल्लिखित कम से कम दो साक्ष्यों के साथ किए जाएंगे :

परंतु ग्राम सभा, यदि आवश्यक समझे, तीन मास की उस अवधि को उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, विस्तारित कर सकेगी ।

(ख) अपने सामुदायिक वन संसाधन के अवधारण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई तारीख नियत करेगी और जहां सारवान अतिव्यापति हो, वहां उससे लगी हुई समीपस्थ ग्राम सभाओं को और उपखंड स्तर समिति को सूचित करेगी ।

(2) वनाधिकार समिति, ग्राम सभा को उसके निम्नलिखित कृत्यों को करने में सहायता देगी,--

(i) विनिर्दि-ट प्ररूप में दावे और ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करना, उनकी अभिस्वीकृति देना और उन्हें रखना ;

(ii) दावों और साक्ष्य का, मानचित्र सहित, अभिलेख तैयार करना ;

(iii) वनाधिकारों के संबंध में दावेदारों की सूची तैयार करना ;

(iv) इन नियमों में उपबंधित किए गए अनुसार दावों का सत्यापन करना ;

(v) दावे के स्वरूप और विस्तार के संबंध में अपने नि-क-र्षों को ग्राम सभा के समक्ष, उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्राप्त किए गए प्रत्येक दावे की वनाधिकार समिति द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति की जाएगी ।

(4) वनाधिकार समिति, इन नियमों के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावें भी तैयार करेगी ।

(5) ग्राम सभा, उपनियम (2) के खंड (v) के अधीन नि-क-र्षों की प्राप्ति पर, वनाधिकार समिति के नि-क-र्षों पर विचार करने के लिए, पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उप खंड स्तर समिति को भेजेगी ।

(6) ग्राम पंचायत का सचिव, अपने कृत्यों के निवर्हन में ग्राम सभाओं के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा ।

12. वनाधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन करने की प्रक्रिया--(1) वनाधिकार समिति, संबंधित दावेदार और वन विभाग को सम्यक् सूचना देने के पश्चात्,--

(क) स्थल का दौरा करेगी और स्थल पर दावे के स्वरूप और विस्तार तथा साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी ;

(ख) दावेदार और साक्षियों से कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि चारागाही और यायावरी जनजातियों के उन दावों को, जो व्य-िटक सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, उनके अधिकारों के अवधारण के लिए, ऐसे समय पर सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे व्य-िट या समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचीन जनजाति समूह या पूर्व कृ-ि समुदाय के सदस्य के दावे को, जो उनके समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, आवास के उनके अधिकारों के अवधारण के लिए उस समय सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों ; और

(ङ) मान्यता दिए जाने योग्य सीमाचिन्हों को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करने वाला मानचित्र तैयार करेगी ।

(2) तत्पश्चात् वनाधिकार समिति दावे के संबंध में अपने नि-क-र्गों को अभिलिखित करेगी और उन्हें ग्राम सभा को उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(3) यदि किसी दूसरे ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के संबंध में विरोधी दावे हैं या यदि किसी वन क्षेत्र का एक से उपयोग अधिक ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है तो संबंधित ग्राम सभाओं की वनाधिकार समितियां ऐसे दावों के उपभोग के स्वरूप का विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेगी और संबंधित ग्राम सभाओं को लिखित में नि-कर्-ा प्रस्तुत करेगी :

परंतु यदि ग्राम सभाएं विरोधी दावों का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं तो उसे ग्राम सभा द्वारा उपखंड स्तर समिति को उसका समाधान करने के लिए निर्दि-ट किया जाएगा ।

(4) सूचना, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए ग्राम सभा या वनाधिकार समिति के अनुरोध पर, संबंधित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या वनाधिकार समिति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएंगे और यदि अपेक्षित हो, किसी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना स्प-टीकरण सुकर कराएंगे ।

13. वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य--वनाधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगा :--

(क) गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्टें, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनाएं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्टें, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज, चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, सकंल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख ;

(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज ;

(ग) गृह, झोपड़ी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य, जिसके अंतर्गत समतल करना, बंध, चैकबांध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं ;

(घ) अर्द्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी हैं ;

(ङ) उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान अध्ययन, दस्तावेजीकरण, जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्प-ट करते हैं और जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है ;

(च) तत्कालीन रजवाड़ों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख, जिसके अंतर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशे-ाधिकार, रियायतें, समर्थन भी है ;

(छ) कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसी पुरातंता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएं ;

(ज) पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यताप्राप्त व्य-िटयों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली ;

(झ) लेखबद्ध किए गए, दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन ।

(2) सामुदायिक वनाधिकारों के साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :--

(क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों ;

(ख) परंपरागत चारागाह ; जड़ें और कंद, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लघु वन उत्पाद जमा करने के क्षेत्र ; मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां ; मानव या पशु धन के उपयोग के लिए जल के स्रोत, औ-ाधिय पौधों का संग्रह, जड़ी-बूटी औ-ाधि व्यवसायियों के क्षेत्र ;

(ग) स्थानीय समुदायों द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशे-ा, पवित्र वृक्ष, गुफाएं और तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशानगृह ।

(3) ग्राम सभा, उपखंड स्तर समिति और जिला समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में ऊपर उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेंगी ।

14. उपखंड स्तर समिति को याचिकाएं--(1) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति, संकल्प की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उपखंड स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा ।

(2) उपखंड स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची और संबंधित ग्राम सभा को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी ।

(3) उपखंड स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित ग्राम सभा को उसके विचार के लिए निर्दि-ट करेगी ।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात्, ग्राम सभा तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची को सुनेगी, उस निर्देश पर कोई संकल्प पारित करेगी और उसे उपखंड स्तर समिति को भेजेगी ।

(5) उपखंड स्तर समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी ।

(6) लंबित याचिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपखंड स्तर समिति, अन्य दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और उन्हें एकत्रित करेगी तथा संबंधित उपखंड अधिकारी के माध्यम से उन्हें जिला स्तर समिति को प्रस्तुत करेगी ।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद की दशा में और किसी ग्राम सभा द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या उपखंड स्तर समिति द्वारा स्वःप्रेरणा से विवाद का समाधान करने की दृन्टि से संबंधित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाएगी और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो उपखंड स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी ।

15. जिला स्तर समिति को याचिकाएं--(1) उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिला स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा ।

(2) जिला स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची तथा संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी ।

(3) जिला स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसके विचार के लिए निर्दि-ट करेगी ।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उपखंड स्तर समिति तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची और ग्राम सभा को सुनेगी, उस निर्देश का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना जिला स्तर समिति को देगी ।

(5) तत्पश्चात् जिला स्तर समिति याचिका पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी ।

(6) जिला स्तर समिति दावेदार या दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों को, सरकार के अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के लिए जिला कलक्टर या जिला आयुक्त को भेजेगी ।

(7) दो या अधिक उपखंड स्तर समितियों के आदेशों के बीच किसी फर्क की दशा में, जिला स्तर समिति स्वःप्रेरणा से, मतभेदों का समाधान करने की दृन्टि से संबंधित उपखंड स्तर समितियों की संयुक्त बैठक बुलाएगी और यदि किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो जिला स्तर समिति संबंधित उपखंड स्तर समितियों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद को अधिनिर्णीत करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी ।

डॉ0 बचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव

[फा0सं0 17014/02/2007-पी.सी. एंड वी.(जिल्द VII)]

अनुसूचित जनजाति और
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2007
भारत सरकार,
जनजाति कार्य मंत्रालय

उपाबंध - 1
[नियम 6(झ) देखें]
प्ररूप - क
वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
[नियम11(1)(क) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम
2. पति/पत्नी का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. (क) अनुसूचीत जनजाति : हां/नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं
(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :
1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार
क) निवास के लिए
ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें)
3. पट्टे/ पट्टे/ अनुदान, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ङ) देखें)
5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए है :
(अधिनियम की धारा 4(8) देखें)
6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें)
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)
8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)
9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुसूचित जनजाति और
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2007
भारत सरकार,

जनजाति कार्य मंत्रालय

उपाबंध - 1

[नियम 6(झ) देखें]

प्ररूप - क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम11(1)(क) और (4) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम
   - क. एफडीएसटी समुदाय : हां/ नहीं
   - ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/ नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/ तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :--

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें)
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें)
3. सामुदायिक अधिकार
   - क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हों :
   - ख. चरने हेतु, यदि कोई हों :
   - ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,

   (अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)
4. पीटीजी व कृनि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ङ) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें)
6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3(1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य :
   (नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के
हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुसूचित जनजाति और
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2007
भारत सरकार,

जनजाति कार्य मंत्रालय

उपाबंध - 2

[नियम 8(ज) देखें]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) :
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल :
11. खसरा/ कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अदीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :--

हम, अधोहस्ताक्षरी,........................(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुन्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं ।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक   जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्टर/ उप आयुक्त

अनुसूचित जनजाति और
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
नियम, 2007
भारत सरकार,

जनजाति कार्य मंत्रालय

उपाबंध - 3

[नियम 8 (6ज) देखें]

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :
   (उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/ अन्य परंपरागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8. शर्तें यदि कोई हो
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण
   रुढ़िजन्य सीमा और/ या खसरा/ कंपार्टमेंट सं.
   सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/ के धारक (कों) का/के नाम :

1. ....
2. ....
3. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी,..........................(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुन्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं ।

मंडलीय वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक   जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलकेटर/ उप आयुक्त